कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं. : AMG-II/शहरी विकास/प्रतिवेदन संख्या- 02/2020-21/

दिनांक : /08/2020

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,

नगर पालिका परिषद, विकासनगर,

जनपद- देहरादून।

विषय : नगर पालिका परिषद-विकासनगर, देहरादून के वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग-2(अ) मे **शून्य** प्रस्तर, भाग- 2(ब) में **04** प्रस्तर एंव STAN में **शून्य** प्रस्तर (पृष्ठ संख्या 01 से 16 तक) हैं, इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग- 2(अ) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या सचिव, शहरी विकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून एवं भाग- 2(ब) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/शहरी विकास क्लस्टर

सं. : AMG-II/शहरी विकास/प्रतिवेदन संख्या- 02/2020-21/ **दिनांक: /08/2020**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 निकट राजपुर रोड़ साईं इंस्टीट्यूट के पासदेहरादून ,

2- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आडिट), (द्वितीय तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/शहरी विकास क्लस्टर

निरीक्षण आख्या **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, विकासनगर, जनपद- देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-I

1. **परिचयात्मक:** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री वी0पी0 सिंह, ले0प0अ0 के पर्यवेक्षण में श्री नित्यानन्द सिंह, स0ले0प0अ0 एवं श्री लक्ष्मण सिंह सहा0ले0प0अ0, द्वारा दिनांक 09.07.2018 से 16.07.2018 तक संपादित की गयी थी जिसमें अवधि 2016-17 से 2017-18 तक के लेखा-अभिलेखों की जाँच की गयी थी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र**:-

(i) भौगोलिक क्षेत्र: **9.33वर्ग किमी**

(ii) जनसंख्या: - **24019**

(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: -**11**

(iv) इकाई द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या:-**04**

(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:

(vi) कर्मचारियों की संख्या: -**51**

(vii) इकाई की संपत्तियाँ: - **30 (दुकाने,सामुदायिक भवन, कार्यालय भवन)**

(viii) इकाई के अपने प्रोजेक्ट: **कोई नहीं**

(ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(x) (अ) सामाजिक संरक्षा:

(ब) रोजगार सृजन से संबन्धित:

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें:

(द) लाभार्थियों की संख्या:

(xi) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xii) वर्ष के दौरान कुल व्यय

(अ) सामान्य :

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये | : **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: **हाँ**

2(ii)(अ)- कार्यालय नगर पालिका परिषद, विकासनगर, जनपद- देहरादून का विगत तीन वर्षों (2017-18 से 2019-20) के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण (धनराशि रु में)										
वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर- स्थापना		अवशेष			
	स्थापना	गैर- स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना		गैर- स्थापना	
							आधिक्य	बचत	आधिक्य	बचत
2017-18	4694436	10912909	71210348	50118618	17851725	18399906		25786166		10364728
2018-19	25786166	10364728	62140047	63418491	21013300	11727641	0	24507722	0	19650387
2019-20	24507722	19650387	63468855	82887368	35341166	38730992	0	5089209	0	16260561

(2ii)(ब) कार्यालय नगर पालिका परिषद, विकासनगर , जनपद- देहरादून का वर्ष 20171-8 का आय व्यय विवरण-						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अंतिम अवशेष**
1	13वाँ वित्त आयोग	8623	0	8623	0	8623
2	14वाँ वित्त आयोग	2251789	10420000	12671789	9005789	3666000
3	राज्य वित्त आयोग	1555266	56896000	58451266	37068811	21382455
4	अवस्थापना विकास निधि	1871479	4283000	6154479	924511	5229968
5	स्वच्छ भारत मिशन (आ(.सी.ई.	0	130000	130000	0	130000
6	स्वच्छ भारत मिशन (शौचालय)	0	249975	249975	179982	69993
7	प्रधानमंत्री आवास योजना	620000	22500	642500	620000	22500
8	आई.पी.डी.एस.एच.	3577653	0	3577653	3577653	0
9	ठोस अपशिष्ट योजना	6007	0	6007	0	6007
10	दून घाटी विशेष क्षेत्र प्राधिकरण	48600	1028000	1076600	1028000	48600
11	अनुसूचित जाति उप योजना	1415489	210250	1625739	1169102	456637
12	विधायक निधि	1113269	1508000	2621269	1894869	726400
13	पालिका निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	3139170	14314348	17453518	13049807	4403711
	कुल योग	**15607345**	**89062073**	**104669418**	**68518524**	**36150894**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, विकासनगर , जनपद- देहरादून 20181-9 का आय व्यय - विवरण						
क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अंतिम अवशेष
1	13वाँ वित्त आयोग	8623	0	8623	0	8623
2	14वाँ वित्त आयोग	3666000	6576000	10242000	1870400	8371600
3	राज्य वित्त/14वाँ वित्त आयोग (ग्राम पंचायत अंश)	0	3951800	3951800	0	3951800
4	राज्य वित्त आयोग	21382455	52623000	74005455	51875697	22129758
5	अवस्थापना विकास निधि	5229968	0	5229968	2432096	2797872
6	स्वच्छ भारत मिशन (आ(.सी.ई.	130000	50000	180000	28800	151200
7	स्वच्छ भारत मिशन (शौचालय)	69993	44000	113993	9999	103994
8	प्रधानमंत्री आवास योजना	22500	10052500	10075000	6880000	3195000
9	ठोस अपशिष्ट योजना	6007	0	6007	0	6007
10	दून घाटी विशेष क्षेत्र प्राधिकरण	48600	0	48600	0	48600
11	अनुसूचित जाति उप योजना	456637	0	456637	0	456637
12	विधायक निधि	726400	339000	1065400	506346	559054
13	पालिका निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	4403711	9517047	13920758	11542794	2377964
	कुल योग	**36150894**	**83153347**	**119304241**	**75146132**	**44158109**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, विकासनगर , जनपद- देहरादून का वर्ष 2019-20 का आय व्यय - विवरण						
क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अंतिम अवशेष
1	13वाँ वित्त आयोग	8623	0	8623	0	8623
2	14वाँ वित्त आयोग	8371600	16372600	24744200	20688733	4055467
3	राज्य वित्त/14वां वित्त आयोग(ग्राम पंचायत अंश	3951800	13752291	17704091	12721808.1	4982282.88
4	राज्य वित्त आयोग	22129758	52620000	74749758	71897832	2851926
5	अवस्थापना विकास निधि	2797872	2204000	5001872	123714	4878158
6	स्वच्छ भारत मिशन (आ(.सी.ई.	151200	80000	231200	135824	95376
7	स्वच्छ भारत मिशन (शौचालय)	103994	720025	824019	400019	424000
8	ब्याज	0	27688	27688	0	27688
9	प्रधानमंत्री आवास योजना	3195000	480000	3675000	3675000	0
10	ब्याज	0	216030	216029.99	0	216029.99
11	डे0यू 0एम0एल0एन0	0	30000	30000	7280	22720
12	ब्याज	0	470	470	0	470
13	ठोस अपशिष्ट योजना	6007	0	6007	0	6007
14	दून घाटी विशेष क्षेत्र प्राधिकरण	48600	0	48600	0	48600
15	अनुसूचित जाति उप योजना	456637	0	456637	126013	330624
16	विधायक निधि	559054	1458062	2017116	852601	1164515
17	पालिका निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	2377964	10848855	13226819	10989535.6	2237283.39
		44158109	**98810021**	**142968130**	**121618360**	**21349770.3**

लेखों पर टिप्पणी

1. वर्ष के अन्त में एक बड़ी धनराशि अवशेष बची हैं अर्थात योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक प्रकार से नहीं किया गया।
2. लेखों का रख रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारुप में नहीं किया जा रहा है।

भाग-I. (2ii)(स)						
कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, विकासनगर, जनपद- देहरादून का केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण (2017-18 to 2019-20)						
वर्ष	**योजना का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अंतिम अवशेष**
2017-18	केंद्रीय वित्त आयोग	2251789	10420000	12671789	9005789	3666000
2018-19	केंद्रीय वित्त आयोग	3666000	6576000	10242000	1870400	8371600
2019-20	केंद्रीय वित्त आयोग	8371600	16372600	24744200	20688733	4055467
2017-18	स्वच्छ भारत मिशन (आ(.सी.ई.	0	130000	130000	0	130000
2018-19	स्वच्छ भारत मिशन (आ(.सी.ई.	130000	50000	180000	28800	151200
2019-20	स्वच्छ भारत मिशन (आ(.सी.ई.	151200	80000	231200	135824	95376
2017-18	स्वच्छ भारत मिशन (शौचालय(	0	249975	249975	179982	69993
2018-19	स्वच्छ भारत मिशन (शौचालय(	69993	44000	113993	9999	103994
2019-20	स्वच्छ भारत मिशन (शौचालय(	103994	720025	824019	400019	424000
2019-20	डे0एन0यू0एल0एम0	0	30000	30000	7280	22720

भाग - 2(ब)

<u>प्रस्तर 01</u>:- **"इकाई के बैंक खाते मे अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा न कराया जाना" (रु. 1.81 लाख)**

नगर पालिका परिषद - विकास नगर , जनपद - देहरादून के लेखाभिलेखों (अनुदान पंजिका एवं बैंक खातों) एवं उपलब्ध कराई गयी सूचना की जांच में पाया गया कि दिनांक 31.03.2020 तक पालिका द्वारा अवस्थापना विकास निधि हेतु खोले गए बैंक खाते (S.B.I. A/c No. 11248209067) पर **रु.1,80,756/- (रु.1,17,459/- + रु.63,297/-) की धनराशि** ब्याज के रूप में प्राप्त हुए थी। इकाई द्वारा इस धनराशि को लेखापरीक्षा तिथि (जुलाई 2020) तक राजकोष के संबन्धित लेखाशीर्षक में जमा नहीं कराया गया था|

उपरोक्त के सम्बंध में इंगित किये जाने पर तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये इकाई द्वारा बताया गया कि ब्याज की धनराशि को यथाशीघ्र राजकोष के संबन्धित लेखाशीर्ष में जमा कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग - 2(ब)</u>

<u>प्रस्तर 02</u>:- “रॉयल्टी के सापेक्ष 25% की अतिरिक्त धनराशि की कटौती कर जिला खनिज फाउंडेशन न्यास मे जमा न किया जाना। (रु 1.34 लाख)

उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 के नियम 10(5) के अनुसार सरकारी निर्माण कार्यों में उपयोग की जाने वाली बालू, बजरी पर जिला खनिज फाउंडेशन न्यास पर सीधे जमा किए जाने पर रॉयल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से जमा किया जाएगा |

नगर पालिका परिषद - विकास नगर, जनपद - देहरादून के निर्माण से संबन्धित लेखाभिलेखों की जांच में पाया गया कि नगर पालिका द्वारा वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान सरकारी निर्माण कार्यों से **रु. 5,36,682/-** की धनराशि रॉयल्टी के रूप मे काटी गयी थी तथा इस धनराशि को चालान के माध्यम से राजकोष में जमा कराया गया था परन्तु इस काटी गयी धनराशि के सापेक्ष 25 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि **रु. 1,34,171/-** की कटौती नहीं की गयी थी अर्थात यह धनराशि जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में जमा नहीं कराई गयी थी।(संलग्नक-‘क’)

उपरोक्त के सम्बंध में इंगित किये जाने पर तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये इकाई द्वारा बताया गया कि जिला न्यास निधि अंशदान हेतु रॉयल्टी के उक्त 25% अंश की कटौती के सम्बंध में कोई दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुये हैं| भविष्य में तत्सम्बंधित आदेश प्राप्त करते हुये उक्त अंश की नियमानुसार कटौती कर राजकोष के संबन्धित लेखाशीर्ष में जमा की जाएगी|

इकाई द्वारा प्रदत्त उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 दिनांक 12 जनवरी, 2015 को ही प्रवृत्त हो गयी थी तथा इकाई द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया गया है|

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक-'क' **(धनराशि रु. में)**

क्रम संख्या	दिनांक	चालान/वाउचर/चेक संख्या	जमा की गई रॉयल्टी की धनराशि	जिला खनिज फाउंडेशन न्यास पर सीधे जमा किए जाने पर रॉयल्टी की 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से जमा की जाने वाली धनराशि
1	21.04.2018	PL0100800504180006	4532	1133
2	21.04.2018	PL0100800504180005	11433	2858.25
3	22.04.2018	PL0100800504180015	12760	3190
4	22.04.2018	PL0100800504180011	5492	1373
5	26.04.2018	P84480049	6094	1523.50
6	26.04.2018	P84480051	13230	3307.50
7	26.04.2018	P84480052	14966	3741.50
8	26.04.2018	P84480053	22398	5599.50
9	26.04.2018	P84480054	9317	2329.25
10	26.04.2018	P84480055	4286	1071.50
11	---	---	11399	2849.75
12	26.04.2018	P84480057	36193	9048.25
13	26.04.2018	P84480058	11387	2846.75
14	26.04.2018	P84480061	16418	4104.50
15	15.01.2019	PL0100800501190005	14474	3618.50
16	15.01.2019	PL0100800501190002	19284	4821
17	16.01.2019	PL0100800501190008	10237	2559.25
18	16.01.2019	PL0100800501190007	13334	3333.50
19	16.01.2019	PL0100800501190006	40735	10183.75
20	16.01.2019	PL0100800501190010	7440	1860
21	16.01.2019	PL0100800501190011	4062	1015.50
22	17.01.2019	PL0100800501190015	7660	1915
23	17.01.2019	PL0100800501190017	9513	2378.25
24	18.01.2019	PL0100800501190018	3838	959.50
25	06.03.2019	Check no. 795330	64803	16200.75
26	30.03.2019	Check no. 000597	19873	4968.25
27	29.05.2019	113	13168	3292
28	29.05.2019	116	6682	1670.50
29	25.07.2019	226	10893	2723.25
30	01.08.2019	PL0100800508191029	4614	1153.50
31	01.08.2019	PL0100800508191034	13229	3307.25
32	20.08.2019	PL0100800508191040	4814	1203.50
33	20.08.2019	PL0100800508191041	31402	7850.50
34	20.08.2019	PL0100800508191042	2122	530.50

35	20.08.2019	PL0100800508191043	9400	2350
36	20.08.2019	PL0100800508191044	21679	5419.75
37	05.09.2019	PL0100800509191053	2638	659.50
38	18.09.2019	PL0100800509191054	2002	500.50
39	23.10.2019	PL0100800510191064	7663	1915.75
40	23.10.2019	PL0100800510191065	3596	899
41	24.10.2019	PL0100800510191066	5415	1353.75
42	19.11.2019	PL0100800511191086	2207	551.75
कुल योग			**536682**	**134171**

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 03- गृहकर एवं दुकान किराये मद में धनराशि ₹ 82.32 लाख की वसूली लम्बित रहना तथा किराये पर आवंटित दुकानों हेतु गठित अनुबंधों का नवीनीकरण न कराया जाना।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनिमय-1916 (जो उत्तराखण्ड में भी लागू है) के अध्याय-5 की धारा 128(1) के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र में स्थित भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर आरोपित कर उसे वसूल करेगी, ताकि निकाय की आय में वृद्धि हो सके, एवं प्राप्त धनराशि का उपयोग विकास कार्यों में किया जा सकें। शासन के पत्रांक- 760/श0वि0नि0-1213/अधि0नि0- 2008 दिनांक 17.07.2014 के द्वारा निकायों को निर्देशित किया गया था कि निकायों में आरोपित करों की वसूली 90 प्रतिशत से अधिक सुनिश्चित की जाये।

नगर पालिका परिषद, विकासनगर के गृहकर तथा दुकान किराये से सम्बंधी अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान **गृहकर मद** के अन्तर्गत मांग के सापेक्ष की गई वसूली एवं अवशेष धनराशि का विवरण निम्नवत था-

वित्तीय वर्ष	वार्षिक माँग (पूर्व अवशेष सहित)	छूट	वसूली	अवशेष
2017-18	4670564	23871	3437571(**73.98%**)	1209122
2018-19	8984088	4111	3666962(**40.83%**)	5313015
2019-20	8182201	5394	2573057(**31.47%**)	**5603750**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गृहकर मद में वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर धनराशि ` 5603750/- की वसूली अवशेष थी तथा गृहकर की वसूली में प्रतिवर्ष कमी हो रही थी। इसी प्रकार **दुकान किराया** मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 के अन्तर्गत की गई वसूली एवं अवशेष धनराशि का विवरण निम्नवत था-

वित्तीय वर्ष	वार्षिक माँग (पूर्व अवशेष सहित)	छूट	वसूली	अवशेष
2017-18	2409206	0	1057795(**43.91%**)	1351411
2018-19	4060369	0	1882663(**46.37%**)	2177706
2019-20	4139968	0	1511670(**36.51%**)	**2628298**

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि दुकान किराया मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर धनराशि ` 2628298/- का वसूल किया जाना अवशेष था तथा उक्त मद के अन्तर्गत 36.51 प्रतिशत से 43.91 प्रतिशत, की वसूली की गई थी इस प्रकार स्पष्ट है कि गृहकर एवं दुकान किराये मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर कुल धनराशि रू0 12316775/- के सापेक्ष रू0 4084727/- की वसूली की गई थी तथा धनराशि रू0 8232048/- का वसूल किया जाना अवशेष था। इस प्रकार इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर 33.16 प्रतिशत की वसूली सुनिश्चित की गई थी जोकि अत्यंत न्यून है तथा निकाय के हित में नही है। जबकि शासन के पत्रांक-

760/श0वि0नि0- 1213 /अधि0नि0- 2008 दिनांक 17.07.2014 के द्वारा निकायों को निर्देशित किया गया था कि निकायों में आरोपित करों की वसूली 90 प्रतिशत से अधिक सुनिश्चित की जायें।

किराये पर आवंटित दुकानों की पत्रावलियों की नमूना जांच में पाया गया कि विगत 06 माह से 05 वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी दुकानों के अनुबंधो का नवीनीकरण नही किया गया था। आगे जांच में यह भी पाया गया कि इकाई द्वारा किराये पर आवंटित दुकानों के अनुबंधो में दुकान-किराये में वृद्धि का प्रावधान नही किया गया था। जिसके परिणाम स्वरूप विगत 06 माह से 05 वर्ष का समय व्यतीत होने के उपरांत भी दुकान किराये में वृद्धि नही की गई थी। जिसके परिणाम स्वरूप इकई को किराये के रूप में होने वाली आय में कमी हो रही थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि लम्बित धनराशि की वसूली वित्तीय वर्ष 2020-21 में की जायेगी तथा लम्बित/अवशेष वसूली हेतु कर्मचारियों कों लक्ष्य वर्ष 2020-21 के लिए दिये जा चुके है। दुकानों के पुराने अनुबंधों में नवीनीकरण का प्रावधान नही होने पर वित्तीय वर्ष 2017-18 से जिन दुकानों के नये अनुबंध किये जा रहे है उनमें किराये वृद्धि का प्रावधान किया गया है।

अतः गृहकर एंव भवन/दुकान किराये मद के अन्तर्गत धनराशि रू0 82.32 लाख की वसूली लम्बित रहने तथा किराये पर आवंटित दुकानों के गठित अनुबंधों का नवीनीकरण न कराये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 04- नई अंशदायी पेंशन योजना का उचित क्रियान्वयन न किया जाना जाना ।

शासनादेश सं 21/xxvvi (7)अ.पे.यो/2005 दिनांक 25/10/2005 के अनुसार राज्य नियंत्रणाधीन समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओ/राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में समस्त नई भर्तियों पर 01 अक्टूबर 2005से नयी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी, जिसके अंतर्गत वेतन, महंगाई वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का अंशदान किया जाएगा एवं इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्य सरकार अथवा संबन्धित स्वायत्तशासी संस्था/निजी शिक्षण संस्थाद्वारा किया जाएगा। उत्तराखंड शासन के पत्रांक 346/xxvii(7)/2007 दिनांक 21 नवम्बर, 2007 द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया था कि जिन स्वायत्तशासी संस्थाओं/ स्थानीय निकायों में अंशदायी पेंशन योजना लागू है तथा राजकोष से एकीकृत लेखा एवं भुगतान प्रणाली से वेतन आहरित नहीं होता, ऐसी संस्थाओं में जब तक भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य के पेंशन फंड के विषय में पेंशन फंड मैनेजर नियुक्त नहीं होता, तब तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या ऐसी संस्था में जहां न्यूनतम सामान्य भविष्य निधि पर देय ब्याज से कम ब्याज अनुमन्य न हो, सुरक्षित निवेश किया जाये ताकि जैसे ही फंड मैनेजर नियुक्त हो ब्याज सहित ऐसी धनराशि प्रत्येक कर्मचारी के विवरण सहित फंड मैनेजर को हस्तांतरित कर दी जाये।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, विकासनगर के अधिकारियों/कर्मचारियों के नई अंशदायी पेंशन योजना के अभिलेखों की जांच में पाया गया की वर्तमान में इकाई में 24 कर्मचारी नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित है जिनमें 03 केन्द्रीयत एवं 21 अकेन्द्रीयत सेवा के कर्मचारी थे। आगे जांच में यह भी पाया गया कि पालिका द्वारा उक्त कर्मचारियों की नई अंशदायी पेंशन योजना की कटौतियाँ अप्रैल 2017 से प्रारम्भ की गई थी। अकेन्द्रीयत कर्मचारियों की अप्रैल 2017 से पहले की अवधि की न तो कर्मचारी के अंशदान की और ना ही नियोक्ता के अंशदान की कोई धनराशि कटौती कर जमा की गई थी। इसके अतिरिक्त पालिका द्वारा अप्रैल 2017 से नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियो के अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान की धनराशि को पालिका द्वारा एक्सिस बैंक में खोले गए दो बचत खातों "नगर पालिका परिषद अकेन्द्रीयत अंशदायी" एवं "नगर पालिका परिषद केन्द्रीयत अंशदायी" में जमा किया जा रहा था । जिन पर सामान्य बचत खाते की दरों से ब्याज प्राप्त हो रहा था। कर्मचारियो के अलग-अलग कोई खाता नहीं खोला गया और ना ही अंशदायी पेंशन योजना से संबन्धित कर्मचारियों का व्यक्तिगत लेजर बनाया जा रहा था। जिससे कर्मचारी वार कितनी धनराशि जमा हो गई है एवं उस पर कितना ब्याज प्राप्त हुआ है, की जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं था । विगत लेखापरीक्षा के दौरान भी नई अंशदायी पेंशन योजना का उचित क्रियान्वयन न किए जाने के संबंध में आपत्ति की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि अप्रैल 2017 से पूर्व के अंशदान की कटौती वर्तमान में कर जमा की जायेगी । भविष्य में प्रत्येक कर्मचारी का पृथक-पृथक खाता खोलकर अंशदान की धनराशि जमा की जायेगी तथा व्यक्तिगत लेजर तैयार किया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अंशदायी पेंशन योजना के लागू होने के 12 वर्ष से अधिक की अवधि बीतने के उपरांत एवं विगत लेखापरीक्षा में भी प्रकरण आने के बाद भी उक्त योजना का उचित क्रियान्वयन न किया जाना विभागीय शिथिलता को दर्शाता है।

अतः नई अंशदायी पेंशन योजना का उचित क्रियान्वयन न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

(क) परिचयात्मक: कार्यालय **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, विकासनगर, जनपद-देहरादून** के लेखा/अभिलेखों की वित्तीय वर्ष **2018-19 से 2019-20 तक** की संप्रेक्षा श्री अरविंद शर्मा, स.ले.प.अ., श्री हिमांशु शर्मा, स.ले.प.अ., श्री केदार सिंह, स.ले.प.अ. द्वारा दिनांक **20.07.2020** से **06.08.2020** तक श्री सुनील कल्ला, व0ले0प0अ0 के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी |

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 (अ)	भाग-2(ब)	स्टैन
स्था0नि0/प्रति0सं0- 35/2018-19	शून्य	प्रस्तर सं0 -1,2,3,4,5	01

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----सामान्य-----

भाग – V
आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, विकासनगर, जनपद-देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है | तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

2. सतत अनियमितताएँ**: शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
01	श्री बी0एल0आर्य	अधिशासी अधिकारी	21.07.2017 से वर्तमान तक
		अध्यक्ष/प्रशासक	
01	श्री हरफूल चन्द महावर	अध्यक्ष	20.10.2016 से 03.05.2018
02	श्री जितेंद्र कुमार	प्रभा0 अधिकारी	04.05.2018 से 03.11.2018
	श्रीमती शान्ति जुवाठा	अध्यक्ष	02.12.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, विकासनगर, जनपद-देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, देहरादून-248195** को प्रेषित कर दी जाये |

वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी/ शहरी विकास क्लस्टर